



2026:AHC:13657

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 39516 / 2025

रिहान

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: फरीद अहमद

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, तथा राज्य प्रतिवादी की ओर से श्री अरविंद कुमार विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वाद अपराध संख्या 305 सन् 2024, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएँ 191(2), 191(3), 190, 109(1), 121(1), 132, 324(5), 223बी, 326(जी/छ), 310(2), लोक संपत्ति को क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3/4 तथा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7, थाना नकहासा, जनपद संभल में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है, उसे इस वाद अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है तथा वह दिनांक 27.12.2024 से कारागार में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त अमन उर्फ रेहता उर्फ अमान को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 12.12.2025 के आदेश के माध्यम से आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 42804 सन् 2025 में पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि जमानत पर रिहा होने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की स्थिति में उसके न्याय से पलायन करने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों से छेड़छाड़ की युक्तिसंगत आशंका तथा प्रथमदृष्टया प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए, किन्तु वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत प्रदान किए जाने का आधार बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अतः अभियुक्त-आवेदक रिहान, जो उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, न्यायालय के संतोष के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न प्रदान की जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अवर न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्रता होगी।

दिनांक : 20 जनवरी, 2026

पी.के.एस.

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)